तारीख	प्रकरण संख्या 71/2023 जीसीएमएस नम्बर 2023/205 अनवान अगमादेवी बनाम मिठूसिंह व अन्य हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.01.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी तथा वकील अप्रार्थी संख्या 1 से 3 उपस्थित। वकील अप्रार्थी द्वारा दिनांक 01.08.2024 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते निगरानी खाजिर करने पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 28.01.2025 को पेश हो। अति. जिला कलक्टर, पाली अति. जिला कलेक्टर, पाली	
28.01.2025	पत्रावली वास्ते आदेश आज पेश हुई। वकील अप्रार्थी संख्या 01, 02, 03 ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी ने मृतक व्यक्तियों के खिलाफ पेश की है। किसी वाद के विचाराधीन होने के दौरान यदि कोई पक्षकार फौत हो जाता है तो उसके वारिसान को रेकर्ड पर लिया जा सकता है परन्तु हस्तगत वाद मृत पक्षकारों के विरूद्ध पेश किया इसलिये इसमें वारिसान स्थानान्तरित नहीं हो सकते है। जैर निगरानी में अप्रार्थी संख्या 4 मोहनसिंह का दिनांक 06.11.2007 एवं अप्रार्थी संख्या 5 का देहान्त दिनांक 16.08.2009 को हो चुका है। वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 3 बाबूसिंह का भी देहान्त दिनांक 03.08.2024 को हो चुका है परन्तु उनके कायम मुकाम को रेकर्ड पर लेने की कार्यवाही प्रार्थी द्वारा अभी तक नहीं की गयी। इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाते हुये प्रार्थी द्वारा विधिक प्रावधानों के विपरीत प्रस्तुत जैर निगरानी याचिका का खारिज फरमावे। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 04 व 05 की तरफ से आप अधिवक्ता नहीं हो इसलिये आपको यह उज्र उठाने का विधिक अधिकार नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि अप्रार्थी संख्या 03 भी फौत हो चुका है तो उसके वारिसान को रेकर्ड पर ले सकते है। 5 व्यक्तियों के नाम से जैर निगरानी पट्टा जारी किया हुआ है, इसलिये सबको पक्षकार बनाया है तथा वर्तमान में उनके वारिसानों को पक्षकार बनाये जाने का प्रर्थाना पत्र पेश कर दिया है। अतः अधिवक्ता अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज फरमावे। हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन करते हुये सम्पूर्ण पत्रावली एवं प्रार्थना पत्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संलग्न मोहन सिंह एवं पोलुसिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र जो आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा जारी किये गये है, के अनुसार अप्रार्थी संख्या 4 का देहान्त दिनांक 06.11.2007 एवं अप्रार्थी संख्या 5 का देहान्त दिनांक 16.08.2009 को हो गया। उपरोक्त दस्तावेजों के अवलोकन से यह सुस्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा मृत व्यक्तियों के विरूद्ध हस्तगत निगरानी पेश की है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त 2016 (2) RRT 1200 Jagdish vs Nathu & Ors में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया कि Any suit filed against a dead person is a nullity and if an action is void ab initio, then it cannot be survived by moving an application under Order 22 Rule 4 CPC read with Section 151 CPC. इसके अतिरिक्त न्यायिक दृष्टान्त 1991 (2) RLW 151 Sukhvendra Singh vs Board of Revenue के P.T.O. अति. जिला कलेक्टर पाली	

तारीख	प्रकरण संख्या 71/2023 जीसीएमएस नम्बर 2023/205 अनवान अगमादेवी बनाम मिठूसिंह व अन्य हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अनुसार मृतक व्यक्ति के विरूद्ध कारवाई संस्थित नहीं की जा सकती है। साथ ही न्यायिक नजीर RRT 2012(1) 189 में यह वर्णित किया गया है कि मृत व्यक्ति के विरूद्ध वाद शून्य प्रभावी व खारिज होने योग्य है।

प्रकरण में यह निर्विवादित है तथा अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा भी यह कहीं नहीं कहा गया है कि मृत्त अप्रार्थीगण की मृत्यु दौराने निगरानी विचारण हुई हो। जैर प्रकरण में यह है कि अप्रार्थी संख्या 4 व 5 की मृत्यु निगरानी प्रस्तुत करने से पूर्व ही हो चुकी थी तथा मृत पक्षकारों के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा वर्णित किन्हीं भी प्रावधानों के तहत पक्षकारों को जिनकी निगरानी प्रस्तुत करने से पूर्व ही मृत्यु हो चुकी है उनके विधिक वारिशान को संयोजित किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। उपरोक्त मामलें में निर्धारित अनुपात के अनुसार सीपीसी के आदेश 22 नियम 4 केवल तभी लागू होंगे जब कार्यवाही के लम्बित रहने के दौरान पक्षकार की मृत्यु हो जाती है। मृत व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा निश्चित रूप से अमान्य है और इसलिए आदेश 22 नियम 4 सीपीसी का आहवान नहीं किया जा सकता। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि मृत व्यक्तियों के खिलाफ प्रस्तुत निगरानी Nullity (शून्य) होती है। उपरोक्त न्यायिक नजीरों में भी यही विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

अतएव अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 से 03 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है जिसके स्वाभावित परिणामस्वरूप हस्तगत निगरानी याचिका Nullity (शून्य) होने से खारिज की जाती है। प्रार्थी उचित विधिक उपचार के साथ पुनः निगरानी प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर इस न्यायालय के नम्बर से कम हो।

अति. जिला कलक्टर, पाली

अति. जिला कलेक्टर, पाली